

अनुबंध - 4

प्रति के रूप में उपदान अधिनियम के भुगतान के सार, 1972 का प्रदर्शन नियम 20 (प्रपत्र 'यू')

फार्म 'यू'

अधिनियम और नियम का सार

1. अधिनियम का विस्तार - अधिनियम पूरे भारत में फैली है:

परंतु कि अब तक के रूप में यह वृक्षारोपण या बंदरगाहों के लिए संबंधित में, यह राज्य के विस्तार नहीं करेगा जम्मू और कश्मीर. [धारा 1 (2)]

2. जिसे applies. - अधिनियम (क) हर कारखाने, खदान, oilfield, वृक्षारोपण, बंदरगाह और रेलवे कंपनी के लिए लागू होता है अधिनियम, (ख) हर दुकान या स्थापना के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अर्थ के भीतर दुकान और राज्य में स्थापना, दस या अधिक व्यक्तियों में कार्यरत हैं, या कार्यरत थे, पिछले बारह महीनों में किसी भी दिन पर, और (ग) ऐसे अन्य स्थापना या स्थापना के वर्ग है, जो दस या अधिक कर्मचारियों पर कार्यरत हैं पिछले बारह महीनों में किसी भी दिन, केन्द्रीय सरकार के रूप में, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट मई, [1 धारा (3)]

1. भारतीय नौसेना पोत. G.S.R. 2868, दिनांक 22 नवंबर, 1975.

3. परिभाषाएं - (क) "उपयुक्त सरकार" एक स्थापना के संबंध में अर्थ है (i);

i) संबंधित, या नियंत्रण के अधीन, केन्द्रीय सरकार, ii) एक से अधिक राज्यों में शाखाओं वाले, iii) एक, या के तहत एक प्रमुख बंदरगाह, मेरा oilfield, या रेलवे कंपनी, केन्द्रीय सरकार, iv) नियंत्रण संबंधित कारखाने की.

(ii) किसी भी अन्य मामले में राज्य सरकार. [धारा 2 (क)].

(ख) "सेवा के पूर्ण वर्ष" एक वर्ष के लिए निरंतर सेवा का मतलब है, [धारा 2 (ख)].

(ग) "सतत सेवा" निर्बाध सेवा का मतलब है और सेवा है जो बीमारी, दुर्घटना, छोड़ दो, बरतर्फ़ी, हड़ताल या एक ताला बाहर या काम की समाप्ति चितित कर्मचारियों की किसी भी गलती के कारण नहीं के द्वारा बाधित है, कि क्या इस तरह निर्बाध शामिल हैं या बाधित सेवा इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में गाया था.

स्पष्टीकरण मैं - एक कर्मचारी जो निरंतर सेवा में एक वर्ष के लिए नहीं है के मामले में, वह निरंतर सेवा में समझा जाएगी अगर वह वास्तव में किया गया है बारह महीनों के दौरान एक नियोक्ता द्वारा नियोजित से कम नहीं तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष -

मैं 190 दिन, अगर एक खदान में जमीन है, या नीचे कार्यरत

ii) किसी भी अन्य मामले में, जब वह मौसमी स्थापना में कार्यरत है के अलावा 240, दिन.

स्पष्टीकरण द्वितीय - एक मौसमी स्थापना के एक कर्मचारी के लिए निरंतर सेवा में हो सकता है अगर वह वास्तव में सत्तर फीसदी दिनों की संख्या है जिस पर स्थापना के वर्ष के दौरान आपरेशन में था पांच से कम नहीं के लिए काम किया है समझा जाएगा. [धारा 2 (घ)].

Registered Office

AU SMALL FINANCE BANK LIMITED

19-A Dhuleshwar Garden, Ajmer Road,

Jaipur - 302001, Rajasthan, India

Phone: +91 141 4110060/61, Fax: +91 141 4110090

CIN: L36911RJ1996PLCC011381

Formerly known as Au Financiers (India) Limited

- (घ) "नियंत्रण प्राधिकारी" एक धारा 3 के अंतर्गत एक उचित सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी का मतलब है. [धारा 2 (घ)].
- (ङ) "परिवार", एक कर्मचारी के संबंध में करने के लिए मिलकर बनता समझा किया जाएगा की
- ई) एक पुरुष कर्मचारी, खुद, उसकी पत्नी, अपने बच्चों विवाहित या अविवाहित, उसके आश्रित माता पिता और विधवा और बच्चों को, चाहे अपने predeceased बेटे की, यदि कोई, के मामले में,
- एफ) एक महिला कर्मचारी के मामले में, खुद को, उसके पति, उसके बच्चों,
- विवाहित या अविवाहित, उसके आश्रित माता पिता और उसके पति और विधवा और उसके predeceased बेटे के बच्चों के आश्रित माता पिता है कि क्या, यदि कोई:
- बशर्ते कि अगर एक महिला कर्मचारी, नियंत्रण प्राधिकारी को लिखित में एक नोटिस के द्वारा, उसे उसके परिवार, पति और उनके आश्रित माता - पिता से उसके पति को छोड़ने की इच्छा व्यक्त नहीं अब इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समझा जाएगा, में शामिल किया जाना ऐसी महिला कर्मचारी के परिवार को जब तक ने कहा कि नोटिस के बाद ऐसी महिला कर्मचारी द्वारा वापस ले लिया है.
- स्पष्टीकरण - कहाँ एक कर्मचारी की व्यक्तिगत कानून उसके द्वारा एक बच्चे के गोद लेने के परमिट, किसी भी कानूनी रूप से उसके द्वारा अपनाया बच्चे अपने परिवार में शामिल किया जाना समझा किया जाएगा, और एक कर्मचारी के एक बच्चे है, जहां किसी अन्य व्यक्ति और ऐसे गोद लेने के द्वारा अपनाया गया है, ऐसे व्यक्ति बनाने गोद लेने के पर्सनल लॉ के तहत वैध, जैसे बच्चे के कर्मचारी के परिवार से बाहर समझा किया जाएगा. [धारा 2 (ज)].
4. नामांकन -
- (1) प्रत्येक कर्मचारी, जो सेवा के एक वर्ष पूरा कर लिया है उपदान का भुगतान (केन्द्रीय) नियम, 1972 के प्रारंभ होने के बाद, सेवा के एक वर्ष के पूरा होने के तीस दिनों के नामांकन [धारा 6 (1) के भीतर करेगा 8 नियम 6 (1)] के साथ पढ़ा.
- (2) अगर एक कर्मचारी को नामांकन करने के समय में है एक परिवार नामांकन उसके परिवार के एक या एक से अधिक सदस्यों और किसी भी एक व्यक्ति जो अपने परिवार के सदस्य नहीं है के पक्ष में ऐसे कर्मचारी द्वारा की गई नामांकन के पक्ष में किया जाएगा शून्य हो जाएगा. [धारा 6 (3)].
- (3) यदि नामांकन करने के समय में, कर्मचारी कोई परिवार नहीं है, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नामांकन किया जा सकता है, लेकिन अगर कर्मचारी बाद में एक परिवार का अधिग्रहण, जैसे नामांकन तत्काल अमान्य हो करेगा और कर्मचारी करेगा 90 दिनों के भीतर इस परिवार के एक या एक से अधिक सदस्यों के पक्ष में एक ताजा नामांकन बनाते हैं. [धारा 6 (4) नियम के साथ पढ़ा 6 (3)].
- (4) एक नामांकन या एक ताजा नामांकन या नामांकन के संशोधन के एक नोटिस कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, या अनपढ़, अगर दो गवाहों की उपस्थिति में अपने अगूठे का निशान है जो कि नामांकन में भी उस प्रभाव के लिए घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करेगा वहन करेगा ताजा नामांकन या मामले के रूप में नामांकन के संशोधन की सूचना हो सकता है. [6 नियम (5)].
- (5) एक नामांकन, उप वर्गों (3) के प्रावधानों और (4) धारा 6 की एक कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता के लिए अपने इरादों के एक प्रश्न के लिखित नोटिस ऐसा करने देने के बाद किसी भी समय संशोधित किया जा करने के लिए विषय हो सकता है [धारा 6 (5)].
- (6) एक नामांकन या ताजा या नामांकन के संशोधन के नामांकन नोटिस उसी के नियोक्ता द्वारा प्राप्ति की तारीख से प्रभावी होंगे. [6 नियम (6)].

5.- उपदान (1) एक कर्मचारी जो उपदान भुगतान अधिनियम के तहत या किसी अधिकृत व्यक्ति के लिए पात्र है, लेखन में, उसकी ओर से कार्य करने के लिए, आमतौर पर उपदान की तारीख से तीस दिनों के भीतर लागू नहीं होगी के लिए आवेदन देय बन गया:

कि जहां सेवानिवृत्ति या एक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख में जाना जाता है परंतु, कर्मचारी सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति की तारीख के तीस दिन पहले नियोक्ता के लिए लागू कर सकते हैं. [नियम 7 (1)].

(2) एक कर्मचारी के एक नामांकित व्यक्ति जो उपदान के भुगतान को लागू करने के लिए, आमतौर पर तारीख नियोक्ता के लिए उसे देय उपदान बन गया से तीस दिनों के भीतर के लिए पात्र है. [नियम 7 (2)].

(3) एक कर्मचारी जो उपदान के भुगतान को लागू करने के लिए, आमतौर पर तारीख नियोक्ता के लिए उसे देय उपदान बन गया से एक वर्ष के भीतर के लिए पात्र है की एक कानूनी वारिस. [नियम 7 (3)].

(4) ऊपर निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के बाद दायर की ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए एक आवेदन भी नियोक्ता द्वारा मनोरंजन किया जाएगा यदि आवेदक देरी के लिए पर्याप्त कारण adduces है. [नियम 7 (5)].

6. उपदान के भुगतान: - (1) उपदान अपने रोजगार की समाप्ति पर एक कर्मचारी को देय होगी के बाद वह कम से कम पाँच नहीं करने के लिए निरंतर सेवा प्रदान की गई है साल ई) उसकी सेवानिवृत्ति, या एफ) उसकी सेवानिवृत्ति या पंजीकरण, या पर जी) पर उनकी मृत्यु या दुर्घटना या बीमारी के कारण विकलांगता:

परंतु कि पांच साल की निरंतर सेवा के पूरा होने के लिए आवश्यक नहीं किया जा सकता है, जहां किसी भी कर्मचारी के रोजगार की समाप्ति मृत्यु या विकलांगता की वजह से है:

बशर्ते कि कर्मचारी की मौत के मामले में, उसे देय उपदान अपने उम्मीदवार को भुगतान किया जाएगा, या अगर कोई नामांकन किया गया है, उसके वारिस, और जहां किसी भी ऐसे प्रत्याशियों या वारिस एक छोटी सी जैसे नाबालिग के शेरों, नियंत्रण प्राधिकारी है जो ऐसे बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान जैसे मामूली लाभ के लिए ही निवेश करेगा के रूप में निर्धारित किया जा सकता है जब तक जैसे मामूली बहुमत मिलता के साथ जमा किया जाएगा.

अपंगता ऐसे विकलांगता जो काम है जो वह दुर्घटना या बीमारी के पहले ऐसे विकलांगता में जिसके परिणामस्वरूप प्रदर्शन करने में सक्षम था के लिए एक कर्मचारी incapacitates का मतलब है. [धारा 4 (1)].

(2) छह महीने से अधिक में सेवा या उसके किसी भाग के हर पूरा वर्ष के लिए, नियोक्ता उपदान पन्द्रह दिनों मजदूरी की दर पिछले मजदूरी की दर के आधार पर किसी कर्मचारी को भुगतान करेगा संबंधित कर्मचारी द्वारा तैयार:

बशर्ते कि एक टुकड़ा रेटेड कर्मचारी के मामले में तुरंत पिछले तीन महीने की अवधि के लिए दैनिक मजदूरी की गणना उसके द्वारा प्राप्त कुल मजदूरी का औसत पर किया जाएगा

उनके रोजगार की समाप्ति, और इस प्रयोजन के लिए, किसी भी समयोपरि काम करने के लिए मजदूरी का भुगतान खाते में नहीं लिया जाएगा:

बशर्ते कि एक मौसमी प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारी के मामले में, नियोक्ता हर मौसम के लिए सात दिनों की मजदूरी की दर पर उपदान का भुगतान करेगा. [धारा 4 (2)].

Registered Office
AU SMALL FINANCE BANK LIMITED
19-A Dhuleshwar Garden, Ajmer Road,
Jaipur - 302001, Rajasthan, India
Phone: +91 141 4110060/61, Fax: +91 141 4110090
CIN: L36911RJ1996PLC011381
Formerly known as Au Financiers (India) Limited

स्पष्टीकरण - एक मासिक रेटेड कर्मचारी के मामले में पंद्रह दिनों 'मजदूरी मजदूरी की मासिक दर पिछले बीस छह और गुणा भागफल के द्वारा उसके द्वारा पंद्रह द्वारा तैयार विभाजित करके गणना की जाएगी।

(3) एक कर्मचारी को देय उपदान की राशि बीस महीने मजदूरी [धारा 4 (3)] से अधिक नहीं करेगा।

7. उपदान की जल्दी - (1) एक कर्मचारी, जिनकी सेवाओं का उपदान किसी भी कार्य, खुदराय चूक या लापरवाही किसी भी क्षति या नुकसान के कारण, या नियोक्ता के लिए सम्पत्ति विनाश के लिए समाप्त हो गया है, की सीमा तक जब्त कर ली जाएगी इतना कारण क्षति या हानि;

(2) एक कर्मचारी को देय उपदान पूर्ण जब्त किया जाएगा

यदि ऐसे कर्मचारी की सेवाओं अपने उपद्रवी या उच्छृंखल आचरण या उसके भाग पर हिंसा की किसी भी अन्य कार्य के लिए समाप्त हो गया है, या

ख) यदि ऐसे कर्मचारी की सेवाएं किसी भी कार्य है जो एक नैतिक अधमता से जुड़े अपराध, बशर्ते कि ऐसे अपराध में उसके द्वारा अपने रोजगार के पाठ्यक्रम में प्रतिबद्ध है गठन के लिए समाप्त हो गया है [धारा 4 (6)]।

8. (1) एक नोटिस क्षेत्र के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए नियोक्ता द्वारा किया जाएगा नाम, पता, नियोक्ता, या व्यापार की प्रकृति [नियम में किसी भी परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत खोलने परिवर्तन, या स्थापना के बंद की सूचना 3 (2)]।

(2) जहां एक नियोक्ता के नीचे कारोबार बंद करना चाहता है वह कम से कम साठ दिनों का इरादा बंद से पहले क्षेत्र के नियंत्रण प्राधिकारी के लिए एक नोटिस प्रस्तुत करेगा [नियम 3 (3)]।

9. दिशा के लिए नियंत्रण प्राधिकारी के लिए आवेदन, यदि एक नियोक्ता एक) के लिए नामांकन स्वीकार या उपदान के भुगतान के लिए एक आवेदन पत्र का मनोरंजन करने के लिए मना कर दिया है, या

ख) या तो उपदान की राशि जो आवेदक द्वारा माना जाता है क्या देय या उपदान के भुगतान को खारिज पात्रता से कम निर्दिष्ट नोटिस मुद्दों, या

ग) उपदान के भुगतान के लिए एक आवेदन पत्र प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर नोटिस जारी करने में विफल रहता है; दावेदार कर्मचारी, उम्मीदवार या कानूनी वारिस, जैसा भी मामला हो, आवेदन के लिए कारण की घटना के नब्बे दिन के भीतर लागू हो सकता है, धारा 7 (4) के रूप में कई अतिरिक्त प्रतियां के रूप में विपरीत पार्टी के साथ उपधारा के तहत एक दिशा जारी करने के लिए नियंत्रण प्राधिकारी के लिए:

बशर्ते कि अधिकार को नियंत्रित करने के पर्याप्त कारण नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के बाद आवेदक द्वारा दिखाया जा रहा है पर किसी भी आवेदन को स्वीकार कर सकते हैं।' [नियम 10]

10. Appeal. कोई नियंत्रण प्राधिकारी के आदेश से व्यथित व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर, जो अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्ति के द्वारा क्षेत्र के क्षेत्रीय श्रम आयोग (केन्द्रीय) के लिए एक अपील करना पसंद कर सकते हैं केन्द्रीय सरकार:

परंतु कि अपील प्राधिकारी, अगर वह संतुष्ट है कि अपीलीय पर्याप्त कारण से भीतर अपील पसंद से रोका गया था ने कहा कि साठ दिनों की अवधि का विस्तार हो सकता है, ने कहा कि साठ दिनों के आगे की अवधि के द्वारा अवधि है। [धारा 7 (7)]।

11. केंद्रीय क्षेत्रों में अधिनियम या नियमों के प्रवर्तन के लिए मशीनरी - AU सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) नियंत्रण प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकारी के रूप में सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के रूप में नियुक्त किया गया है।

Registered Office

AU SMALL FINANCE BANK LIMITED

19-A Dhuleshwar Garden, Ajmer Road,

Jaipur - 302001, Rajasthan, India

Phone: +91 141 4110060/61, Fax: +91 141 4110090

CIN: L36911RJ1996PLC011381

Formerly known as Au Financiers (India) Limited

12. शक्तियों या नियंत्रित करने authority. उपदान के राशि एक कर्मचारी को देय है या के रूप में के किसी भी दावे की स्वीकार्यता के लिए या के संबंध में, उपदान के भुगतान के लिए एक कर्मचारी के रूप में एक जांच का आयोजन करने के प्रयोजन के लिए नियंत्रक प्राधिकारी, या उपदान प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के रूप में, एक ही शक्तियों के रूप में अदालत में निहित हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत, निम्नलिखित विषयों के संबंध में 1908, अर्थात्: -

- (क) किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को लागू करने या शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
- (ख) और दस्तावेजों की खोज और उत्पादन की आवश्यकता होती है;
- (ग) शपथ - पत्र पर साक्ष्य प्राप्त है, और
- (घ) गवाहों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी। [धारा 7 (5)].

13. रिकवरी या उपदान - यदि नियोक्ता द्वारा देय उपदान की राशि के भीतर भुगतान नहीं किया है, निर्धारित समय, व्यक्ति बहां हकदार को नियंत्रित अधिकार करने के लिए इस संबंध में पीडित व्यक्ति द्वारा इसे करने के लिए किए गए आवेदन पर कलेक्टर के लिए है कि राशि के लिए एक प्रमाणपत्र है, जो एक ही साथ में पुनर्प्राप्त करेगा चक्रवृद्धि ब्याज उस के साथ जारी करेगा प्रतिशत प्रतिवर्ष नौ, भू - राजस्व के बकाया के रूप में निर्धारित समय की समाप्ति की तारीख से की दर और बहां हकदार व्यक्ति के लिए ही भुगतान। [धारा 8]

14. संरक्षण या gratuity. कोई उपदान अधिनियम और अधीन बनाए गए नियमों के भुगतान के तहत देय उपदान अनुलग्नक के लिए जिम्मेदार किसी भी किसी भी नागरिक राजस्व, या आपराधिक अदालत की डिक्री या आदेश के निष्पादन में किया जाएगा। [धारा 13]

15. - अपराधों (1) जो कोई भी, किसी भी भुगतान के लिए खुद के द्वारा किया जा बचने के या इस तरह के भुगतान से बचने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को सक्षम करने के प्रयोजन के लिए, जानबूझकर करता है या किसी भी गलत बयान या झूठे प्रतिनिधित्व किया जा कारण बनता है के लिए दंड के साथ दंडनीय हो जाएगा एक शब्द है जो छह महीने के लिए विस्तार, या ठीक से जो एक हजार रूपए तक का विस्तार करने के लिए, या दोनों के साथ हो सकता है के लिए कारावास। [धारा 9 (1)].

(2) एक नियोक्ता जो उल्लंघन है, या के साथ अधिनियम के प्राधानों या किसी भी नियम या आदेश का किसी भी अनुपालन में डिफ़ॉल्ट बनाता है के तहत वहाँ शब्द है जो एक वर्ष के लिए विस्तार कर सकते हैं के लिए कारावास का दण्ड किया जाएगा, या जुर्माने के साथ जो हो सकता है विस्तार एक हजार रूपए, या दोनों के साथ:

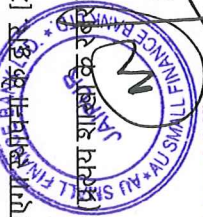
परंतु कि अगर अपराध के किसी भी उपदान अधिनियम के भुगतान के तहत देय उपदान का भुगतान न करने के लिए संबंधित, नियोक्ता कारण के लिए एक शब्द है जो कम से कम तीन महीने नहीं होगा जब तक अदालत अपराध की कोशिश कर जाएगा के लिए कारावास के साथ दण्ड, किया जाएगा लिखित रूप में यह द्वारा दर्ज की राय है कि न्याय की कैद या एक ठीक का अधिरोपण की एक कम अवधि समाप्त होता है मिलना होगा है। [धारा 9 (2)].

16. प्रदर्शित करना या नोटिस - नियोक्ता एक नोटिस conspicuously में या अंग्रेजी में बोल्ड अक्षरों में स्थापना के मुख्य प्रवेश द्वार के पास और कर्मचारियों के बहुमत के नियोक्ता द्वारा अधिकृत पदनाम के साथ अधिकारी के नाम को निर्दिष्ट द्वारा समझी जाने वाली भाषा में प्रदर्शित करेगा उसकी ओर से नोटिस पर प्राप्त उपदान अधिनियम या अधीन बनाए गए नियमों के भुगतान के अधीन। [4 नियम]।

17. प्रदर्शन या अमूर्त या अधिनियम और Rules. नियोक्ता उपदान अधिनियम के भुगतान का एक सार प्रदर्शित और नियमों के तहत वहाँ अंग्रेजी में और पर या निकट मुख्य एक विशिष्ट स्थान पर कर्मचारियों के बहुमत से समझी जाने वाली भाषा में दिया जाएगा स्थानों के द्वारा [20 नियम]।

दिनांक: प्रत्यय शास्त्रा के रजिस्ट्रार

स्थान:



Registered Office
AU SMALL FINANCE BANK LIMITED
19-A Dhuleshwar Garden, Ajmer Road,
Jaipur - 302001, Rajasthan, India
Phone: +91 141 4110060/61, Fax: +91 141 4110090
CIN: L36911RJ1999PLC011381
Formerly known as Au Financiers (India) Limited